

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 55/2020

प्रार्थी

1. भूराराम पुत्र हीराराम
जाति चौधरी निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हरवंश प्रसाद पुत्र सेवाराम जाति खत्री निवासी समदडी
2. श्रीमती गोमती पत्नी हरवंश प्रसाद खत्री निवासी समदडी
3. नन्दलाल पुत्र हरवंश प्रसाद खत्री निवासी समदडी
4. श्रीमती हेमलता पत्नी नन्दलाल जाति खत्री निवासी समदडी
5. मनोजकुमार पुत्र भेरूलाल जाति माहेश्वरी निवासी सिवाना
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 11/09/20

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 141(ए) रा.भू.रा. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 375/334 रकबा 36-10 बीघा किस्म रेतली एवं खसरा नम्बर 1474/334 रकबा 1-10 बीघा गे.मु. आवासीय एवं प्रार्थी के उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि के वदिशा उत्तर में सार्वजनिक आम रास्ता भूमि खसरा संख्या 716/331 की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गद्दी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन कि विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 920/314 रकबा 0-10 बीघा, खसरा नम्बर 730/314 रकबा 01 बीघा व खसरा नम्बर 777/334 रकबा 5-18 बीघा, खसरा नम्बर 1482/334 रकबा 1-10 बीघा, खसरा नम्बर 1550/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1549/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1551/334 रकबा 1-03 बीघा भूमि की पैमाईश करवाई जाकर बाद पैमाईश मौके पर पत्थर गद्दी कायम की जावे। विप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम को प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वीकार करते हुए आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने पक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071-2074 सरहद मौजा समदडी के खेत खसरा नम्बर 775/334 रकबा 36-10 बीघा, 1474/334 का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। तथा वकील प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 920/314 रकबा 0-10 बीघा, खसरा नम्बर 730/314 रकबा 01 बीघा व खसरा नम्बर 777/334 रकबा 5-18 बीघा, खसरा नम्बर 1482/334 रकबा 1-10 बीघा, खसरा नम्बर 1550/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1549/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1551/334 रकबा 1-03 बीघा भूमि की भूमि की पैमाईस करने का निवेदन किया है।


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)



दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा समदडी के खसरा नम्बर 375/334 रकबा 36-10 बीघा किस्म रेतली एवं खसरा नम्बर 1474/334 रकबा 1-10 बीघा गे.मु. आवासीय, खसरा संख्या 716/331 गे. मु. रास्ता एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 920/314 रकबा 0-10 बीघा, खसरा नम्बर 730/314 रकबा 01 बीघा व खसरा नम्बर 777/334 रकबा 5-18 बीघा, खसरा नम्बर 1482/334 रकबा 1-10 बीघा, खसरा नम्बर 1550/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1549/334 रकबा 1-04 बीघा, खसरा नम्बर 1551/334 रकबा 1-03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक11/09/20 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (याड़भेर)